\

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
फोन नं0–0135–2608105/06/07 फैक्स : 0135–2608108

संख्याः 3556/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2019 दिनांक 08 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1547/प्राविधिक/परावर्ती टेप/2015 दिनांक 12 मई, 2015 के अन्तर्गत राज्य में केन्दीय मोटर एवं नियमावली 1989 के नियम 104 के अन्तर्गत परावर्ती टेप लगाये जाने हेतु विभिन्न कम्पनियों को अधिकृत किये जाने हेतु प्रकिया का निर्धारण किया गया है। उक्त प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, युक्तिसंगत एवं द्रुत कार्य निस्तारण के दृष्टिगत् पूर्व कार्यालय ज्ञाप को अतिक्रमित करते हुए राज्य में परावर्ती टेप लगाये जाने हेतु इच्छुक आवेदकों को अधिकृत करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता हैः–

1– प्रत्येक परावर्ती टेप निर्माता कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में टेप विक्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने विषय आवेदन पत्र परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित् प्रपत्र संलग्न किये जायेंगेः–

(1)– प्रोटोटाईप एजेन्सी द्वारा निर्गत टाईप एप्रूबल प्रमाण–पत्र

(2) वर्तमान सी0ओ0पी0 प्रमाण–पत्र।

(3) टेप के नमूने की प्रतियां।

(4) यदि निर्माता भिन्न देश से सम्बन्धित है, तो आयात किये जाने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(5) जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(6) राज्य में अधिकृत डीलर्स की सूची, पते सहित।

2– प्रस्तुत आवेदन पत्र पर परिवहन आयुक्त की स्वीकृति के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य में परावर्ती टेप निर्माता को राज्य में वाहनों में टेप लगाये जाने हेतु पंजीयन/अनुमोदन प्रदान किया जा सकेगा।

3– जो भी अधिकृत वितरक/डीलर टेप को लगायेगा उसका जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

4– पंजीकरण/अनुमोदन निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन जारी किया जायेगाः–

(1)– समस्त वाहनों पर केन्दीय मोटर एवं नियमावली 1989 के नियम 104 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक AIS:090-2005 के अनुरूप परावर्ती टेप लगायी जायेगी।

(2)– निर्माता कम्पनी द्वारा नियुक्त किये गये डीलर/वितरक की सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के साथ–साथ परिवहन आयुक्त को भी उपलब्ध करायी जाएगी। नियुक्त किये गये डीलर को परावर्ती टेप की गुणवत्ता, डिजाइन एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धित कम्पनी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(3) वाहनों पर लगायी गयी परावर्ती टेप निर्धारित मानकों के अनुरुप है, इस हेतु निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु फिटमेंट प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

(4) फिटमेंट प्रमाण–पत्र, पर क्रमांक अंकित होगा एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर कम्पनी के होलोग्राम, वाहन की पंजीयन संख्या प्रकार, चैसिस नम्बर, ईंजन नम्बर टेप लगाये जाने का दिनांक एवं लगाई गयी टेप की की लम्बाई, चौड़ाई एवं रंग अंकित होगा। फिटमेंट प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित डीलर द्वारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जायेगा, जिसका निरीक्षण परिवहन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।

(5) फिटमेंट प्रमाण–पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति परिवहन कार्यालय, दूसरी प्रति वाहन स्वामी एवं तीसरी प्रति डीलर के अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी। फिटनेस प्रमाण–पत्र पर वितरक/डीलर का नाम, स्टाम्प हस्ताक्षर सहित किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) क़िसी परावर्ती टेप की गुणवत्ता से संतुष्ट न होने पर परिवहन आयुक्त द्वारा टेप निर्माता के व्यय पर उसका सत्यापन/निरीक्षण प्रोटो टाईप एजेन्सी से कराया जा सकता है।

(7) भविष्य में भारत सरकार द्वारा नियम 104 तत्सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी कम्पनियों जो उत्तराखण्ड राज्य में इस कार्य हेतु अधिकृत है के द्वारा नई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(8) सम्बन्धित निर्माता कम्पनी व उसके अधिकृत डीलर को परिवहन कार्यालय अथवा चैकपोस्ट पर न तो कोई स्थान उपलब्ध कराया जाएगा और न ही कम्पनी/डीलर के किसी प्रतिनिधि को कार्यालय में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5— राज्य में उक्त पंजीकरण/अनुमोदन प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित परावती टेप ही वाहनों में लगायी जायेगी और ऐसी टेप लगायी जाने के सम्बन्ध में वाहनों के पंजीयन/फिटनेस के समय अभिलेखों में प्रविष्टि सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त आदेश परिवहन आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. परिवहन विभाग की विभागीय वैबसाईट।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।